बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री लक्ष्मीकांत रवानी, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय, उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध निगम निदेशों की अवहेलना करने तथा कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित आरोपों के लिए प्रमुख प्रशासन निगम मुख्यालय, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापंन ज्ञापांक– 2751 दिनांक– 05.06.2017 द्वारा श्री रवानी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन तथा इसकी विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम मे यह परिलक्षित हुआ कि स्थानांतरण के उपरान्त बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 1297 दिनांक– 21.08.2015 द्वारा श्री रवानी को नवपदस्थापित स्थान पर विरमित करते हुए 24 घंटे के अन्दर योगदान देने के उपरान्त लखीसराय जिला में प्रतिनियुक्त होकर दिनांक– 31.08.2015 तक अपने प्रभावित गोदाम / अभिलेख एवं अन्य सामग्रियों का पूर्ण प्रभाव सौपने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु इनके द्वारा दिनांक– 26.02.2016 को प्रभार सौपा गया, जो स्पष्ट रूप से श्री रवानी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित करता है । अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 5946 दिनांक– 23.11.2017 द्वारा श्री रवानी से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

3. उक्त के क्रम में श्री रवानी के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया । समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा की समीक्षा के क्रम में इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री लक्ष्मीकांत रवानी, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय, उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(VI) के तहत एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है ।

5. श्री रवानी को निलम्बन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08विविध–15/2016 1344 /खाद्य,पटना/दिनांक 13-03-2018

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/मुंगेर/उप निदेशक, खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर–सह– संचालन पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री लक्ष्मीकांत रवानी, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

13/3/XVIII

D:\backup\Year_2016(PK\sec-08(08-09-2016)\sec_FOOT_ord .doc AKS